दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय तिथि:16 जनवरी, 2023

रि.या.(सि) 445/2023 और सि.वि.आ.1752-53/2023

अक्षत बलदवा और अन्य .....याचीगण

द्वारा : श्री राहुल बजाज, याचिकाकर्ता संख्या 2 व्यक्तिगत रूप से (मोबाइल नंबर 9890281068)

बनाम

यशराज फिल्म्स और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अभिषेक मल्होत्रा और सुश्री सृष्टि गुप्ता, प्र-1 के अधिवक्तागण । श्री चेतन शर्मा, अति.स.ज. के साथ श्री रवि प्रकाश, के.स.स्था.अधि., श्री फरमान अली और सुश्री उषा जमाल, प्र.-2,2ए और 3 (एम-8744956276) के अधिवक्तागण |

कोरमः

न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह

प्रतिभा एम. सिंह न्यायाधीश (मौखिक)

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड द्वारा की गई है।

सि.वि. आ. 1753/2023 (छूट के लिए)

2. समस्त अपवादों के अध्यधीन अनुमति दी जाती है। आवेदन का निपटान किया जाता है।

रि.या.(सि) 445/2023 और सि.वि.आ.1752/2023

3. वर्तमान याचिका चार याचीगण द्वारा दायर की गई है, जो नागरिक हैं, जिनमें से याचिकाकर्ता संख्या 1, 2 और 4 दृष्टि बाधित हैं और याचिकाकर्ता संख्या 3 श्रवण बाधित है। याचिकाकर्ता संख्या 1 नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु भारत कानून का छात्र है, याचिकाकर्ता संख्या 2 और 4 योग्यता प्राप्त वकील हैं। याचिकाकर्ता संख्या 3 नेशनल एसोसिएशन फॉर द डेफ के संयुक्त सचिव और कार्यकारी निदेशक हैं।

4. याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 1- यश राज फिल्म्स, जो 'पठान' फिल्म के निर्माता हैं, दो मंत्रालय अर्थात्, प्रत्यर्थी संख्या 2 - सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रत्यर्थी संख्या 3 - दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग, साथ ही प्रत्यर्थी नंबर 4- अमेज़ॅन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो एक ओवर-द-टॉप (इसके बाद, "ओटीटी") प्लेटफॉर्म का संचालन करती है, जिसका नाम अमेज़ॅन प्राइम वीडियो है, जिस पर यह फिल्म 28 अप्रैल, 2023 को रिलीज होने वाली है, के खिलाफ निर्देश की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है।

5. याचीगण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (इसमें इसके बाद, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निर्धारित विभिन्न अधिकारों और सुगम्यता आवश्यकताओं को लागू करने की मांग करते हैं। वर्तमान याचिका की प्रार्थनाएं इस प्रकार हैं:-

> *याचिकाकर्ता, इसलिए, प्रार्थना करते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह माननीय न्यायालय निम्नलिखित को परमादेश की रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट या निर्देश सहर्ष जारी करे:*
>
> *ए. सिनेमाघरों, ओवर-द-टॉप स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों (प्रत्यर्थी संख्या 4 के माध्यम से) और किसी भी अन्य मीडिया जिसमें फिल्म उपलब्ध कराई गई है, में फिल्म पठान के लिए एडी और सबटाइटलिंग/कैप्शनिंग प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को निर्देश देना।*
>
> *बी. फिल्म 'पठान' के लिए ऑडियो विवरण और सबटाइटलिंग/कैप्शनिंग के प्रावधान को प्रभावी बनाने में उचित कदम उठाने के लिए प्रत्यर्थी नं. 2 और 3 को निर्देश*
>
> *सी. प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को कैप्शनिंग/सबटाइटलिंग और ऑडियो विवरण के लिए सुगम्यता के मानकों को तुरंत अधिसूचित करने का निर्देश; और*
>
> *इस तरह के अन्य और अधिक आदेश/निर्देश/रिट पारित करे, जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।"*

6. याचीगण का तर्क यह है कि भले ही आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत 'दिव्यांगजनों' के विभिन्न अधिकारों को मान्यता दी जा चुकी है, लेकिन भारत में रिलीज होने वाली अधिकांश फिल्में, 5-6 साल से अधिक समय पहले अधिनियम बनाए जाने के बावजूद दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रही हैं।

7. श्री राहुल बजाज, याचिकाकर्ता संख्या 2, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, निम्नलिखित निवेदन करते हैं:-

i. फिल्मों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने में मदद करने वाले विभिन्न उपकरण मौजूद हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी फिल्म 'पठान' में कार्यान्वित नहीं किया गया है।

ii. फिल्म पठान 25 जनवरी, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (यहां इसके बाद सीबीएफसी) द्वारा अनुमोदित उपशीर्षक के अलावा, उक्त फिल्म में ऑडियो विवरण और बंद शीर्षक उपलब्ध नहीं हैं। यहां तक कि अनुमोदित उपशीर्षक फिल्म की भाषा हिंदी के बजाय अंग्रेजी भाषा में हैं, और इससे श्रवण और दृष्टि बाधित लोगों के लिए उक्त फिल्म का आनंद लेना लगभग असंभव हो जाता है।

iii. फिल्म 'पठान' के निर्माताओं को इस फिल्म की रिलीज से पहले ऑडियो विवरण, उपशीर्षक और बंद शीर्षक जोड़ने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

iv. दोनों मंत्रालयों, अर्थात्, प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को बधिर और दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए आवश्यक मानकों को अधिसूचित करने के लिए निर्देशित किया जाए। इस पहलू पर, वह निवेदन करते है कि भले ही अतीत में निश्चित दिशानिर्देश जारी किए गए

हैं, लेकिन उन्हें मंत्रालयों द्वारा लागू नहीं किया गया है, और इसका अनुपालन न करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार, बड़ी संख्या में फिल्में इन उपकरणों को प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाती हैं जो फिल्मों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाते हैं।

v. ***राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ, [(2018) 2 एससीसी 413]*** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है।

vi. ***विकास कुमार बनाम यूपीएससी और अन्य, [2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 84]*** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अधिक भरोसा किया गया है।

8. दृष्टिबाधित व्यक्ति थिएटर में फिल्मों का आनंद कैसे ले सकते हैं, न्यायालय के इस विशिष्ट प्रश्न पर श्री बजाज का कहना है कि, कुछ अन्य देशों में, थिएटर खुद ही थिएटर की सीटों में हेडफ़ोन लगाने का प्रावधान करते हैं, जिसके माध्यम से ऑडियो विवरण को ऑडियो फॉर्मेट में प्रसारित किया जाता है। हालांकि, भारत में अधिकांश फिल्म थिएटरों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस स्थिति के बावजूद, दृष्टि बाधित व्यक्ति कुछ मोबाइल एप्लीकेशनों द्वारा फिल्मों के ऑडियो विवरण का आनंद ले सकते हैं, जिन्हें स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है, बशर्ते निर्माता का उक्त मोबाइल एप्लीकेशनों के साथ कोई समझौता हो और वह एप्लीकेशन को फिल्म का आवश्यक ऑडियो विवरण प्रदान करता हो। यह निवेदन किया जाता है कि भारत में दो मोबाइल एप्लीकेशन अर्थात्, 'एक्सएल सिनेमा' और 'शाजासिन' उपलब्ध हैं, जो दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1-निर्माता यशराज फिल्म्स की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री अभिषेक मल्होत्रा के निवेदन निम्न प्रकार हैं:-

i. सीबीएफसी ने फिल्म 'पठान' को पहले ही मंजूरी दे दी है। मंजूरी के समय निर्माता ने अंग्रेजी भाषा में फिल्म के लिए सबटाइटल जमा कर दिए थे। निर्माता ने फिल्म के लिए प्रमाणन भी प्राप्त कर लिया है, जो 25 जनवरी, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ii. निर्माताओं ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के साथ फिल्म 'पठान' की ओटीटी रिलीज के लिए एक समझौता किया है, जिसे 28 अप्रैल, 2023 को निर्धारित किया गया है।

iii. सैद्धांतिक रूप से, निर्माताओं का रुख यह है कि वे कोई भी उचित कदम उठाने के लिए तैयार हैं, जो बधिर और दृष्टि बाधित व्यक्ति द्वारा भी उनकी फिल्मों का आनंद ले पाने को सुनिश्चित सके।

10. प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3-मंत्रालयों की ओर से, यह विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म निर्माता संघ और सीबीएफसी को अक्टूबर, 2019 में सभी फिल्मों में ऑडियो विवरण और उपशीर्षक/बंद शीर्षक का उपयोग करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। चूंकि वह अग्रिम सूचना पर उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए विद्वान अधिवक्ता जारी किए गए उक्त निर्देशों की वास्तविक स्थिति और उनके कार्यान्वयन के बारे में निर्देश प्राप्त करना चाहते हैं।

11. कोई भी, प्रत्यर्थी संख्या 4-अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए पेश नहीं होता है। तदनुसार, सभी स्वीकार्य माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 4 को नोटिस जारी किया जाये।

12. सुना। इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान याचिका बधिर और दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए मनोरंजन के विभिन्न साधनों तक पहुंच के बारे में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाती है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 42 के अध्ययन से पता चलता है कि सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु उपाय करने के लिए बाध्य है कि सभी सामग्री दिव्यांगजनों के लिए सुलभ प्रारूप में उपलब्ध हो। उक्त प्रावधान नीचे दिया गया हैः

> *"42। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच।–समुचित सरकार यह सुनिश्चित करने के उपाय करेगी कि,–*
>
> *(i) ऑडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सभी सामग्री सुलभ प्रारूप में हो;*
>
> *(ii) दिव्यांगजनों की ऑडियो विवरण, सांकेतिक भाषा व्याख्या और क्लोज कैप्शनिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच हो;*
>
> *(iii) इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और उपकरण जो प्रतिदिन उपयोग के लिए हैं, सार्वभौमिक डिजाइन में उपलब्ध हों।"*

13. फिल्मों के संदर्भ में, फिल्म निर्माताओं द्वारा श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए उन्हें सुलभ बनाने हेतु जो उपाय किए जा सकते हैं, वे इस प्रकार हैं:

- ***ऑडियो विवरण*** - जिसका तात्पर्य मीडिया और लाइव प्रस्तुतियों में प्रमुख दृश्य तत्वों के मौखिक चित्रण से है। इसमें बधिरों द्वारा कल्पना को सक्षम करने के लिए स्क्रीन पर दृश्यों का विवरण शामिल है;
- ***उपशीर्षक*** - जो वीडियो फुटेज के संवाद के लिए एक पाठ विकल्प प्रदान करता है - मूल भाषा में पात्रों, कथाकारों और अन्य मुखर प्रतिभागियों के बोले गए शब्दों के साथ-साथ डब की गई फिल्मों के मामले में डब की गई भाषा में; और
- ***क्लोज्ड कैप्शन*** - जो न केवल संवाद के पूरक हैं बल्कि साउंडट्रैक के अन्य प्रासंगिक भागों में पृष्ठभूमि शोर, फोन बजने और अन्य ऑडियो संकेतों का वर्णन करते हैं जिसका वर्णन करने की आवश्यकता होती है।

ये विशेषताएं दिव्यांगजनों के लिए फिल्मों के आनंद का अभिन्न अंग होंगी।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विशेष उपाय करने होंगे, क्योंकि दिव्यांगजनों को मूवी थियेटर में फिल्म देखने के अनुभव से वंचित नहीं किया जा सकता। यह इस तथ्य के मद्देनज़र विशेष रूप से सच है कि इसके लिए प्रौद्योगिकी आसानी से उपलब्ध है। जैसा कि श्री बजाज ने कहा कि दंगल, ब्लैक, मुन्नाभाई एमबीबीएस जैसी अतीत की कई फिल्मों में श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ऑडियो विवरण, उपशीर्षक और क्लोज्ड कैप्शन शामिल किये गए हैं।

15. इस प्रकार, मांगी गई राहत पर विचार करते हुए, दो पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता होगीः

i. पहला, जहां तक फिल्म 'पठान' का संबंध है, उक्त फिल्म को यथासंभव निर्धारित सुगम्यता मानकों के अनुरूप बनाने का निर्देश तथा
ii. दूसरा, फिल्मों को श्रवण और दृष्टि बाधित लोगों के अनुकूल बनाने के लिए वैधानिक प्रावधानों और अन्य निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु एक समग्र समाधान खोजना होगा।

16. सुगम्यता के अधिकार के संबंध में कानूनी दृष्टिकोण को ***राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ, [(2018) 2 SCC 413]*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति ए के सीकरी द्वारा दोहराया गया है, जिसमें न्यायालय ने निम्नानुसार टिपण्णी की:

> "***12) दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन के अधिकार की तुलना में 'पहुंच' के मुद्दे की महत्ता का हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम उमेद राम शर्मा में इस न्यायालय के फैसले से स्पष्ट रूप से अंदाज़ा सकता है, जहां पहुंच के अधिकार को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को काफी व्यापक माना गया है।*** *इस फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:*
>
> *"अनुच्छेद 38 (2) की पृष्ठभूमि में पढ़ें, प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 19 (1) (डी) के तहत भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। उसे अनुच्छेद 21 के तहत अपने जीवन का भी अधिकार है जिसमें न केवल जीवन के भौतिक अस्तित्व बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी शामिल है और पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए सड़क तक पहुंच*

ही जीवन तक पहुंच है। इसलिए, जहां तक संभव हो, पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए उचित परिस्थितियों में संचार के लिए सड़कें प्रदान करना समाज का संवैधानिक दायित्व है। उस अधिकार से वंचित करना संविधान के दायरे में अपनी समृद्धि और पूर्णता में समझे गए जीवन से वंचित करना होगा।

* * *

11.....

13.) सम्मान का अधिकार, जो हमारे संवैधानिक ढांचे में प्रत्येक नागरिक के लिए सुनिश्चित किया गया है, विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के मामले में अधिक सख्ती के साथ लागू होता है और इसलिए, ऐसी सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है ताकि इन व्यक्तियों को भी समान अवसर मिले और न केवल वे जीवन का सार्थक आनंद ले सकें, बल्कि वे राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान दे सकें। जीजा घोष बनाम भारत संघ के मामले में हाल ही में दिए गए एक फैसले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में इन पहलुओं पर प्रकाश डाला थाः

37. 1995 के अधिनियम के तहत विभिन्नतः सक्षम व्यक्तियों को गारंटीकृत अधिकार, मानव गरिमा के ठोस सिद्धांत पर आधारित हैं जो मानव अधिकार का मूल मंत्र है और इसे जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में माना जाता है। ऐसे अधिकार, जो अब दिव्यांगजनों के मानव अधिकार के रूप में माने जाते हैं, की जड़ें संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित हैं। न्यायशास्त्र की दृष्टि से, मानव गरिमा के संवैधानिक मूल्य की सामग्री को निर्धारित करने के लिए तीन प्रकार के मॉडल को मान्यता दी गई है। ये हैं: (i) धार्मिक मॉडल, (ii) दार्शनिक मॉडल, और (iii) संवैधानिक मॉडल। कानून

के विद्वानों से संवैधानिक मूल्य और संवैधानिक अधिकार के रूप में मानव गरिमा के धर्मशास्त्रीय आधार को निर्धारित करने के लिए कहा गया था। दार्शनिकों ने भी मानव गरिमा को प्रमुख मानवीय मूल्य के रूप में उचित ठहराते हुए अपने विचार व्यक्त किए। कानूनी समझ धार्मिक और दार्शनिक विचारों से प्रभावित होती है, हालांकि ये दोनों समान नहीं हैं। एक्विनास और कांट ने उपरोक्त दर्शन के आधार पर मानव गरिमा के न्यायशास्त्र के पहलुओं पर चर्चा की। समय के साथ, मानव गरिमा ने संवैधानिकता के माध्यम से रास्ता निकाला है, चाहे वह लिखित हो या अलिखित। समानता के अधिकार की व्याख्या भी मानव गरिमा के मूल्य के आधार पर की जाती है। जहां तक भारत का संबंध है, हमें धार्मिक या दार्शनिक सिद्धांतों के तहत शरण लेने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एक लिखित संविधान है जो भाग III में "मौलिक अधिकार" शीर्षक के साथ वर्णित मानवाधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। इस न्यायालय ने सम्मान के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए जीवन के अधिकार को एक उद्देश्यपूर्ण अर्थ दिया है। यह उद्देश्यपूर्ण व्याख्या है जिसे इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 में निहित संवैधानिक मूल्य की पूर्ति के रूप में मानव गरिमा के अधिकार की अंतर्वस्तु देने के लिए अपनाया गया है। इस प्रकार मानव गरिमा एक संवैधानिक मूल्य और एक संवैधानिक लक्ष्य है। मानव गरिमा के संवैधानिक मूल्य के आयाम क्या हैं? इसे अहरोन बराक (इज़राइल के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) द्वारा खूबसूरती से निम्नलिखित तरीके से चित्रित किया गया है:

"मानव गरिमा के संवैधानिक मूल्य की एक केंद्रीय मानक की भूमिका है। संवैधानिक मूल्य के रूप में मानव गरिमा, मानव अधिकारों को एक

सूत्र में पिरोता है। यह मानवाधिकारों की मानक एकता सुनिश्चित करता है। यह मानक एकता तीन तरीकों से व्यक्त की जाती हैः पहला, मानव गरिमा का मूल्य संविधान में निर्धारित संवैधानिक अधिकारों के लिए एक मानक आधार के रूप में कार्य करता है; दूसरा, यह मानव गरिमा के अधिकार सहित संवैधानिक अधिकारों के दायरे को निर्धारित करने के लिए एक व्याख्यात्मक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है; तीसरा, संवैधानिक अधिकार को सीमित करने वाले क़ानून की आनुपातिकता निर्धारित करने में मानवीय गरिमा के मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।"

xxx xxx xxx

40. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में समानता दो पूरक सिद्धांतों पर आधारित हैः गैर-भेदभाव और उचित भेदभाव। गैर-भेदभाव का सिद्धांत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी व्यक्ति समान रूप से अपने सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद ले सकें और उनका प्रयोग कर सकें। भेदभाव समान भागीदारी के अवसरों से मनमाने ढंग से वंचित रहने का कारण होता है। उदाहरण के लिए, जब सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं को दिव्यांगजनों की पहुंच से बाहर मानकों पर स्थापित किया जाता है, तो यह बहिष्कार और अधिकारों से वंचित करने का कारण बनता है। समानता का तात्पर्य न केवल भेदभाव को रोकना है (उदाहरण के लिए, भेदभाव-विरोधी कानूनों को लागू करके प्रतिकूल बर्ताव से व्यक्तियों की सुरक्षा), बल्कि समाज में व्यवस्थित भेदभाव से पीड़ित समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करने से परे है। ठोस शब्दों में इसका अर्थ सकारात्मक अधिकारों, सकारात्मक कार्रवाई और उचित समायोजन को अपनाना है। चिकित्सीय मॉडल द्वारा दिव्यांगजनों को समान अधिकारों वाले समुदाय के सदस्यों के रूप में देखने के लिए

संरक्षणवादी और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना, विशेष रूप से दिव्यांगता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास के साथ-साथ दिव्यांगजनों के अधिकारों को सार्वभौमिक मानवाधिकारों की श्रेणी में रखने के कदमों में भी परिलक्षित हुआ है। (विकलांगता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानकों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार विशेषज्ञ समूह की बैठक की रिपोर्ट, 10-2-2001 देखें।)

xxx xxx xxx

43. ऐसे व्यक्तियों को प्रदत्त ये सभी अधिकार एक स्पष्ट संदेश देते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के साथ सहानुभूति रखने और उन्हें चिकित्सा या अन्य सहायता प्रदान करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे भी मनुष्य हैं और उन्हें सामान्य व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ना है और इस संबंध में सभी सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। दिव्यांगजनों के अधिकारों के विषय को मानवाधिकार के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, जिसमें यह माना गया है कि दिव्यांगजन विकलांगता के आधार पर बिना भेदभाव के अंतरराष्ट्रीय रूप से गारंटीकृत सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का लाभ उठाने के हकदार हैं। इससे राज्य पर यह दायित्व बनता है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक उपाय करे कि वास्तव में दिव्यांगजनों को इन अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। दिव्यांगजनों के मामले में सामान्य मानवाधिकार गारंटी के पूर्ण उपाय पर जोर दिया जाना चाहिए, साथ ही उन सामान्य गारंटियों की विस्तृत प्रासंगिक सामग्री को परिष्कृत करने वाले विशेष उपकरण विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए कि दिव्यांगजन समुदाय का अभिन्न हिस्सा हैं, सम्मान में समान हैं और दूसरों की तरह समान मानवाधिकारों और स्वतंत्रता का

आनंद लेने के हकदार हैं। यह एक दुखद टिप्पणी है कि यह धारणा उन लोगों के दिल व दिमाग में नहीं बैठी है जिन्हें इन अधिकारों के लागू होने से कोई सरोकार नहीं है। मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति भेदभाव के अतुलनीय रूप का अनुभव करते हैं और उसका सामना करते हैं। उन्हें लोग तुच्छ नहीं समझते। हालाँकि, उन्हें मुख्यधारा में तब भी स्वीकार नहीं किया जाता है जब लोग उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। आमतौर पर, उनका जीवन सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहार संबंधी बाधाओं से बाधित होता है जो उनकी पूर्ण भागीदारी और समान अधिकारों और अवसरों का आनंद लेने में बाधा डालता है। यह भेदभाव का सबसे बुरा रूप है जिसे दिव्यांग महसूस करते हैं क्योंकि उनकी शिकायत यह है कि अन्य लोग उन्हें नहीं समझ नहीं पाते।

xxx xxx xxx

46. *कई दिव्यांगजन का यह सामान्य अनुभव है कि कि वे सामाजिक बाधाओं और रोजगार, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच, परिवहन आदि में उनके द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के कारण पूर्ण जीवन जीने में असमर्थ हैं। दिव्यांगजन न केवल समाज में बल्कि परिवार में भी सबसे अधिक उपेक्षित रहते हैं। अक्सर उन पर दया की जाती है। उन्हें राष्ट्र के जीवन की मुख्यधारा में समाहित करने का शायद ही कोई सार्थक प्रयास होता है। उनकी समस्याओं के प्रति उदासीनता इतनी व्यापक है कि देश में मौजूद दिव्यांगजनों की संख्या भी अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं है।"*

17. ***विकास कुमार बनाम यूपीएससी और अन्य, [2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 84]*** में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने भी यही विचार

रखा है, जिसमें न्यायालय ने कहा कि दिव्यांगजनों को उचित समायोजन प्रदान करने के लिए राज्य के साथ-साथ निजी पार्टियों को अनिवार्य किया गया है।

उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश नीचे पेश किये जाते हैं:-

> ***"44 उचित समायोजन का सिद्धांत समाज में दिव्यांगजनों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु राज्य और निजी पक्षकारों के सकारात्मक दायित्व को दर्शाता है। उचित समायोजन की अवधारणा नीचे धारा (एच) में विकसित की गई है। फिलहाल, यह कहना पर्याप्त होगा कि दिव्यांगजनों के लिए, संवैधानिक रूप से गारंटीकृत समानता के मौलिक अधिकार, छह स्वतंत्रताएं और अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार खोखला लगेगा यदि उन्हें यह अतिरिक्त सहायता नहीं दी जाती जो उनके लिए इन अधिकारों को वास्तविक और सार्थक बनाने में मदद करती है। उचित समायोजन एक साधन है-एक समाज के रूप में यह एक दायित्व है कि दिव्यांगजनों को समानता और गैर-भेदभाव की संवैधानिक गारंटी का आनंद लेने में सक्षम बनाया जाए।*** *इस संदर्भ में, न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा (जैसा कि वह उस समय थे) की सुनंदा भंडारे फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में की गई टिप्पणी को याद करना उपयुक्त होगा, जिसमें उन्होंने कहा:*

"9. **दिव्यांगजनों** को राहत प्रदान करने के मामले में, कार्यपालिका का दृष्टिकोण उदार और राहत उन्मुख होना चाहिए न कि अवरोधक या निद्रालु होना चाहिए।

> **53.** ***हालांकि 2016 के आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत अधिकांश दायित्व सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों पर डाली गई हैं, लेकिन अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों ने निजी क्षेत्र पर भी***

कुछ दायित्वों को लागू किया है। भारत में उदारीकरण के आगमन के बाद से बाजार में निजी क्षेत्र की भूमिका कई गुना बढ़ गई है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 यह में यह माना गया है कि भारत में रोजगार पैदा करने में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका के साथ, दिव्यांगजनों को नौकरी के बाजार में समान अवसर प्रदान करके एक समावेशी कार्यबल बनाने के लिए निजी नियोक्ताओं पर एक सक्रिय जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए। *तथापि, समान अवसर की गारंटी के साथ उचित समायोजन का प्रावधान होना चाहिए। 2016 के आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में कहा गया है कि निजी प्रतिष्ठान विकलांगता के आधार पर* ***दिव्यांगजनों*** *के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि 2016 के आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत भेदभाव की परिभाषा में उचित समायोजन से इनकार करना शामिल है। निजी नियोक्ताओं को समान अवसर नीति तैयार करना का अधिकार दिया गया है। 20 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए समान अवसर नीतियों में (i) दिव्यांगजनों की भर्ती की देखरेख के लिए प्रतिष्ठानों में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति और ऐसे कर्मचारियों के लिए सुविधाओं के प्रावधान, (ii) दिव्यांगजनों के लिए पदों/रिक्तियों की पहचान, (iii) प्रशिक्षण सुविधाओं, सहायक उपकरणों, बाधा मुक्त पहुंच स्थानांतरण और पदोन्नति में वरीयता, आवास का आवंटन और विशेष अवकाश जैसे अतिरिक्त सुविधाओं और लाभों का प्रावधान शामिल करना आवश्यक है। 2016 के आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि निजी प्रतिष्ठानों को भवन योजनाओं के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित सुलभता के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार से प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले*

प्रतिष्ठानों के 5 प्रतिशत कार्यबल में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति शामिल होंगे।"

18. उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से पता चलता है कि सुगम्यता महत्वपूर्ण और कानूनी अधिकार के रूप में लागू करने योग्य है। यहां तक कि निजी पार्टियों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अधिक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए 'उचित समायोजन' के उपाय किए जाएं। भले ही राजीव रतूड़ी (पूर्वोक्त) के मामले में पहुंच भवनों, परिवहन आदि तक पहुंच के संदर्भ में है, लेकिन सूचना, प्रौद्योगिकी और मनोरंजन तक पहुंच समान रूप से महत्वपूर्ण है। बधिर या दृष्टि बाधित व्यक्ति को फिल्म थिएटर तक आसानी से पहुंच मिल सकती है, लेकिन वह फिल्म का आनंद नहीं ले सकता, यदि इसे आनंददायक बनाने के उपाय निर्माताओं, थिएटर प्रबंधकों, ओटीटी प्लेटफार्मों आदि सहित अन्य हितधारकों द्वारा नहीं किए जाएं। यह सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है कि इस दिशा में यथोचित रूप से संभव सभी कदम उठाए जाएं।

<u>अंतरिम निदेशः</u>

19. इस प्रकार, अंतरिम रूप से, यह निम्नानुसार निदेशित हैः

ए. जहां तक फिल्म 'पठान' के सिनेमाघरों में रिलीज होने का सवाल है, चूँकि यह फिल्म 25 जनवरी, 2023 को रिलीज होनी है, इसलिए कोई निर्देश पारित नहीं किए जा रहे हैं।

बी. लेकिन, जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 4 के 'अमेजन' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म 'पठान' की रिलीज का संबंध है, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

i. निर्माता अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 1 हिंदी भाषा में ऑडियो विवरण, उपशीर्षक और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में बंद शीर्षक तैयार करेगा और उन्हें 20 फरवरी, 2023 तक अनुमोदन के लिए सीबीएफसी के पास जमा करेगा।

ii. इसे जमा किए जाने के बाद, सीबीएफसी हिंदी में ऑडियो विवरण और उपशीर्षक और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में बंद कैप्शन के साथ फिल्म 'पठान' के पुन: प्रमाणन पर विचार करेगी।

iii. सीबीएफसी 10 मार्च, 2023 तक उक्त फिल्म के पुनः प्रमाणन पर निर्णय लेगी।

सी. यदि प्रत्यर्थी स. 1 अर्थात निर्माता, सिनेमाघरों में 'पठान' फिल्म की अधिक पहुंच को सक्षम बनाना चाहता है, तो वह ऑडियो विवरण, उपशीर्षक और बंद कैप्शन प्रदान करने की संभावना का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन 'एक्सएल सिनेमा' और 'शाजासिन' या इसी तरह के अन्य एप्लिकेशन, यदि कोई हो, के ऑपरेटरों से संपर्क करे।

डी. जहां तक वर्तमान याचिका में उठाए गए सवालों के समग्र समाधान के मुद्दे का संबंध है, यह उचित समझा जाता है कि वर्तमान याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 5 के रूप में भारतीय प्रसारण और डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) को शामिल किया

जाए। इसके अलावा, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईएमपीपीए) को भी इस मामले में प्रत्यर्थी संख्या 6 के रूप में शामिल किया जाएगा। प्रक्रिया शुल्क का भुगतान किए बिना, निम्नलिखित विवरण के माध्यम से, नए प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 को नोटिस जारी किया जाए:

प्रत्यर्थी संख्या 5:

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ)

पता: सी-301, सी-302 और सी-303, अंसल प्लाजा,
तीसरी मंजिल, खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली-110 049, भारत।
मोबाइल नंबर:+ 91 114379 4400
ई-मेल: ibdf@ibdfindia.com

प्रत्यर्थी संख्या 6:

इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईएमपीपीए)

पता: जी-1 से 7, क्रिसेंट टॉवर, ऑफ न्यू लिंक रोड
ओशिवारा, एनआर धीरज गौरव हाइट्स, अंधेरी वेस्ट मुंबई, मुंबई सिटी, एमएच 400053
ईमेल: indiafilm@gmail.com
फ़ोन नंबर: 022 62390666/022 62390777/022 62390888
मोबाइल नं.: 8879031147 / 771507277

ई. इस मामले में जिस प्रकार की राहत मांगी गई है उस पर विचार करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को भी प्रत्यर्थी संख्या 2 (ए) बनाया जाता है। विद्वान् अधिवक्ता श्री फरमान अली प्रत्यर्थी संख्या 2 (क) की ओर से नोटिस स्वीकार भी कर चुके हैं।

20. याचीगण की ओर से संशोधित पक्षकारों का ब्यौरा एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए। संशोधित पक्षकारों का ब्यौरा दाखिल किए जाने के बाद, रजिस्ट्री द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4, 5 और 6 को नोटिस भेजा जाए।

21. सुनवाई की अगली तारीख तक प्रत्यर्थी संख्या 2, 2 (ए) और 3 के विद्वान् अधिवक्ता श्री अली द्वारा, ऊपर जारी निर्देशों के संबंध में और रिट याचिका के जवाब में स्थिति रिपोर्ट अभिलेख पर पेश की जाए।

22. जवाबी शपथ पत्र प्रत्यर्थी सं. 1- यशराज फिल्म्स द्वारा चार सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए। रजिस्ट्री द्वारा नोटिस की तामील पर, प्रत्यर्थी सं. संख्या 4, 5 और 6 भी 28 फरवरी, 2023 को या उससे पहले इस न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे। याचीगण द्वारा 15 मार्च, 2023 तक प्रत्युत्तर, यदि हो, तो दायर किया जाए।

23. प्रत्यर्थी सं. 2, 2(ए) और 3 - भारत संघ की ओर से स्थिति रिपोर्ट तथा प्रत्यर्थी संख्या 1, 4, 5 और 6 की ओर से प्रतिशपथ पत्र प्राप्त करने के लिए 6 अप्रैल 2023 को अग्रिम सूची में बोर्ड के शीर्ष पर सूचीबद्ध किया जाए।

प्रतिभा एम सिंह
न्यायमूर्ति

16 जनवरी, 2023
राहुल/एडी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*